

न्यायालय अखिल अधिकारी मसूदा जिला (अजमेर)

अपील / एल.आर. एक्ट | 2 | 2016

1. पत्रावली एल.आर. सवलपुर तहसील मसूदा

खनाम

1. लाडू वल्द बुहा कौम रावत निगमानपुर
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्मि तहसीलदार मसूदा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान अ. राजस्व अधिनियम 1956 विच्छेद
नामान्तरकरण सं- 397 दिनांक 20-5-2014 कोड ग्राम सानपुर

आदेश

अपील आज दिनांक 9/6/2016 को कोर्ट केमप न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत
मोयणा पर पेश हुई। पक्षकारों उपस्थित उन्हें सुना गया व पत्रावली का भवलो कन किया
मिस्रेण प्रती, अजमेर के पत्राव पेश किये अजमेर नामान्तरकरण सं 397 दिनांक 20-5-2014
में खातेदार लाडू वल्द बुहा कौम रावत की विरासत खाता नं. 133, 136, 144, 176, 193 में
नाम होने से सही है। परन्तु खाता नं. 177 ख. नं 81 ख. नं 2-05-10 अमि खातेदार लाडू
वल्द बुहा कौम रावत की खातेदारी है न कि लाडू वल्द बुहा की। इसलिए खाता नं. 177 पर
ना.स. 397 प्रमावी नहीं होने से नामान्तर. 397 अर्दीक स्वीकृत दिनांक 20-5-14 खाता नं
177 की सीमा तक अशुभ रूप से दावा स्वीकार किया जाता है। ना.स 397 से खाता नं 177
पर प्रमावी नोट एवं उनसे आगे जो भी इन्डाज किये जेके हैं। उन्हें निरस्त किया जाता है।
प्रविस्यज लाडू वल्द बुहा कौम रावत सा.देह खातेदार का नाम यथावत दर्ज करने से आगे
दिये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक कोर्ट केमप न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मोयणा पर 9/6/

को सुनाया गया

हा

~~अधिकारी~~
अधिकारी
अजमेर

